Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 84: Continuation and validation of certain recovery proceedings

Where any notice of demand in respect of any tax, penalty, interest or any other amount payable under this Act, (hereafter in this section referred to as "Government dues"), is served upon any taxable person or any other person and any appeal or revision application is filed or any other proceedings is initiated in respect of such Government dues, then—

- (a) where such Government dues are enhanced in such appeal, revision or other proceedings, the Commissioner shall serve upon the taxable person or any other person another notice of demand in respect of the amount by which such Government dues are enhanced and any recovery proceedings in relation to such Government dues as are covered by the notice of demand served upon him before the disposal of such appeal, revision or other proceedings may, without the service of any fresh notice of demand, be continued from the stage at which such proceedings stood immediately before such disposal;
- (b) where such Government dues are reduced in such appeal, revision or in other proceedings—
 - (i) it shall not be necessary for the Commissioner to serve upon the taxable person a fresh notice of demand;
 - (ii) the Commissioner shall give intimation of such reduction to him and to the appropriate authority with whom recovery proceedings is pending;
 - (iii) any recovery proceedings initiated on the basis of the demand served upon him prior to the disposal of such appeal, revision or other proceedings may be continued in relation to the amount so reduced from the stage at which such proceedings stood immediately before such disposal.

धारा 84 : कतिपय वसूली कार्यवाहियों का जारी रहना और विधिमान्यकरण

जहां इस अधिनियम के अधीन संदेय किसी कर, शास्ति, ब्याज या किसी अन्य रकम (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "सरकारी शोध्य" कहा गया है) के संबंध में किसी कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को किसी सूचना की तामील की जाती है और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई अपील या पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया जाता है या कोई अन्य कार्यवाहियां संस्थित की जाती हैं, तब,—

- (क) जहां ऐसे सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में बढ़ा दिया जाता है वहां आयुक्त कराधेय व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को उस रकम, जिस द्वारा ऐसे सरकारी शोध्यों को बढ़ा दिया जाता है, की वसूली के लिए दूसरी मांग सूचना जारी करेगा और ऐसे सरकारी शोध्यों के संबंध में कोई वसूली कार्यवाहियां, जो ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व उस पर तामील की गई मांग की सूचना के अंतर्गत आती हैं, किसी नई मांग सूचना की तामील के बिना उस प्रक्रम से जारी रहेंगी, जिस पर ऐसी कार्यवाहियां ऐसे निपटान के ठीक पूर्व थी;
- (ख) जहां सरकारी शोध्यों को ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों में कम कर दिया जाता है वहां—
 - (i) आयुक्त के लिए कराधेय व्यक्ति पर मांग की नई सूचना की तामील करना आवश्यक नहीं होगा;
 - (ii) आयुक्त ऐसी कमी की उसे और समुचित प्राधिकारी को, जिसके पास वसूली कार्यवाहियां लंबित है, संसूचना देगा;
 - (iii) ऐसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों के निपटान से पूर्व उस पर तामील की गई मांग के आधार पर संस्थित कोई वसूली कार्यवाहियां इस प्रकार कम की गई रकम के संबंध में उसी प्रक्रम से, जिस पर जहां वह ऐसे निपटान से ठीक पूर्व थी, जारी रह सकेंगी।